2.1.6. संसद की संप्रभुता (Sovereignty Of Parliament)

- संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति है। ब्रिटिश संविधान की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता ब्रिटिश संसद की संप्रभुता है (एक लिखित संविधान की अनुपस्थिति के बावजूद)।
- ब्रिटिश संसद, बंधन-मुक्त विधायन शक्ति से परिपूर्ण देश का एकमात्र विधायी निकाय है। यह किसी भी कानून का निर्माण, संशोधन या उसे निरसित कर सकती है।
- हालांकि, भारत के मामले में राज्य स्तर पर भी विधायिका उपस्थित हैं, फिर भी भारतीय संसद की कानून निर्माण की शक्ति मुख्यतः ब्रिटिश संसद के समान है।
- न्यायालयों को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानूनों की वैधता पर प्रश्न करने (न्यायिक पुनर्विलोकन) की शक्ति नहीं है। ब्रिटिश संसद देश के साधारण कानून के समान अपने प्राधिकार का उपयोग संविधान में संशोधन के लिए कर सकती है। यह अवैध को वैध बना सकती है तथा वैध को अवैध बना सकती है।
- इस संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट अंतर विद्यमान है। भारतीय न्यायपालिका की शक्ति निर्मित कानून की वैधता की जांच करने की है। इसके अतिरिक्त, 'मूल ढांचे' के सिद्धांत, कानून की वैधता के संबंध में प्रश्न करने के लिए भारतीय न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है। इस तथ्य के आलोक में भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का सबसे बड़ा व्याख्याकार है।

2.1.7. परिपाटियों की भूमिका (Role Of Conventions)

- परिपाटी को संविधान के अलिखित सिद्धांतों (नियम) के रूप में जाना जाता है। ये संविधान को नम्यता प्रदान कर इसे संशोधित होने से संरक्षण प्रदान करती हैं।
- विश्व के अधिकांश संविधान कुछ परिपाटियों से युक्त हैं। ब्रिटिश संविधान के अलिखित चरित्र के लिए एक आवश्यक उपप्रमेय यह है कि ये परिपाटियाँ, ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, यद्यपि साम्राज्ञी के पास ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून को अस्वीकृत करने का विशेषाधिकार है, लेकिन परिपाटी यह है कि वह ऐसा नहीं करती हैं और यह अपने आप में उस संविधान का एक सिद्धांत बन गया है।
- हालांकि, परिपाटियों की कानूनी स्थिति लिखित कानून के अधीनस्थ है।

2.1.8. विधि का शासन (Rule Of Law)

- ब्रिटिश संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता विधि का शासन है। संविधानवाद या सीमित सरकार, विधि के शासन का सार है। यह कार्यकारिणी की मनमानी कार्यवाही को नियंत्रित करता है। डायसी के अनुसार, ब्रिटेन में विधि के शासन के तीन सिद्धांत विद्यमान हैं:
  - मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और स्वयं प्रतिवाद करने का अवसर।
  - **विधि के समक्ष समता (Equality before Law):** सभी व्यक्ति, अपनी स्थिति या पद से पृथक विधि के समक्ष समान हैं। प्रशासनिक कानून की अवधारणा विधि के समक्ष समता से भिन्न है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की उन्मुक्ति प्रदान करता है। ब्रिटेन में संविधान और मूल अधिकारों की अनुपस्थिति में न्यायपालिका इस विधि की रक्षा करती है। इसलिए इस प्रणाली को "सामान्य विधि का सिद्धांत" (Principle of Common Laws) कहा जाता है **{संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत (मेनका गांधी वाद के पश्चात्) में "नैसर्गिक विधि/कानून का सिद्धांत" (Principle of Natural Law)}**।

VISION IAS